"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2014—आश्विन 25, शक 1936

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ-6-41/2011/1/एक.—मान. प्रो. (डॉ.) प्रदीप कुमार जोशी, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर को दिनांक 21-07-2014 से दिनांक 2-8-2014 तक (13 दिन) का अर्जित अवकाश इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3-6-2014 द्वारा स्वीकृत किया गया था. डॉ जोशी द्वारा उक्त अवकाश का उपभोग न करने की दी गई सूचना के आधार पर उपरोक्त स्वीकृति आदेश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

2. मान. प्रो. (डॉ.) प्रदीप कुमार जोशी, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर को एतद्द्वारा दिनांक 30-7-2014 से 2-8-2014 तक कुल 4 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही पूर्व दिनांक 29-7-2014 एवं पश्चात् दिनांक 3-8-2014 को घोषित सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की अनुमति भी प्रदान की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

LAW & LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Raipur, the 26th September 2014

No. 8414/2683/XXI-B/C. G./2014.— In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 233 of the Constitution of India, read with sub rule (1) of Rule 8 and clause (c) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Higher Judical Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, the Governor of Chhattisgarh, on the recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints Smt. Neelima Singh Baghel W/o Shri Pushpendra Singh Baghel (Category- Unreserved Merit No. 04) on the post of District Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 51550-1230-58930-1380-63070 under clause (a) of sub-rule (1) of rule 3 of the Chhattisgarh Higher Judical Service (Recruitment and conditions of Service) Rules, 2006 temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

Raipur, the 26th September 2014

No. 8416/2550/XXI-B/C. G./2014.— In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 233 of the Constitution of India, read with sub rule (1) of Rule 8 and clause (c) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Higher Judical Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, the Governor of Chhattisgarh, on the recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints Shri Suresh Joon S/o Shri Ajit Singh (Category- Unreserved Merit No. 03) on the post of District Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 51550-1230-58930-1380-63070 under clause (a) of sub-rule (1) of rule 3 of the Chhattisgarh Higher Judical Service (Recruitment and conditions of Service) Rules, 2006 temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

Raipur, the 26th September 2014

No. 8418/2389/XXI-B/C. G./2014.— In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 233 of the Constitution of India, read with sub rule (1) of Rule 8 and clause (c) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Higher Judical Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, the Governor of Chhattisgarh, on the recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints Shri Rajeev Kumar S/o Shri Khush Naseeb Singh (Category- Unreserved Merit No. 02) on the post of District Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 51550-1230-58930-1380-63070 under clause (a) of sub-rule (1) of rule 3 of the Chhattisgarh Higher Judical Service (Recruitment and conditions of Service) Rules, 2006 temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

Raipur, the 26th September 2014

No. 8420/2312/XXI-B/C. G./2014.— In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 233 of the Constitution of India, read with sub rule (1) of Rule 8 and clause (c) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Higher Judical Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, the Governor of Chhattisgarh, on the recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints Shri Ganesh Ram Burman S/o Shri Raju Ram Burman (Category- SC Merit No. 07) on the post of District Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 51550-1230-58930-1380-63070 under clause (a) of sub-rule (1) of rule 3 of the Chhattisgarh Higher Judical Service (Recruitment and conditions of Service) Rules, 2006 temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

Raipur, the 26th September 2014

No. 8422/2606/XXI-B/C. G./2014.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 233 of the Constitution of India, read with sub rule (1) of Rule 8 and clause (c) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Higher Judical Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, the Governor of Chhattisgarh, on the recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints Shri Vijay Kumar Jolhe S/o Late Shri Murit Ram Jolhe (Category- SC Merit No. 08) on the post of District Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 51550-1230-58930-1380-63070 under clause (a) of sub-rule (1) of rule 3 of the Chhattisgarh Higher Judical Service (Recruitment and conditions of Service) Rules, 2006 temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

Raipur, the 26th September 2014

No. 8424/2925/XXI-B/C. G./2014.— In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 233 of the Constitution of India, read with sub rule (1) of Rule 8 and clause (c) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Higher Judical Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, the Governor of Chhattisgarh, on the recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints Shri Dukhi Ram Dewangan S/o Shri Chandu Ram Dewangan (Category- OBC Merit No. 05) on the post of District Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 51550-1230-58930-1380-63070 under clause (a) of sub-rule (1) of rule 3 of the Chhattisgarh Higher Judical Service (Recruitment and conditions of Service) Rules, 2006 temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

Raipur, the 26th September 2014

No. 8426/3041/XXI-B/C. G./2014.— In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 233 of the Constitution of India, read with sub rule (1) of Rule 8 and clause (c) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Higher Judical Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, the Governor of Chhattisgarh, on the recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints Smt. Shubhra Pachouri W/o Shri Mahendra Tiwari (Category- Unreserved Merit No. 06) on the post of District Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 51550-1230-58930-1380-63070 under clause (a) of sub-rule (1) of rule 3 of the Chhattisgarh Higher Judical Service (Recruitment and conditions of Service) Rules, 2006 temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh
A. K. SAMANTRAY, Principal Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2014

क्रमांक 8410/2581/21-ब/छ. ग./2014.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अशोक चौहान, अधिवक्ता कोण्डागांव, को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोण्डागांव के न्यायालय में श्री नरेश कुमार नाईक, के स्थान पर शासन की ओर से पैरवी करने के लिए परिवीक्षा पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ. ग. विधि विभाग मैन्युल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2014

क्रमांक 8412/2581/21-ब/छ. ग./2014.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री नरेश कुमार नाईक, अधिवक्ता, कोण्डागांव को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोण्डागांव के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए परिवीक्षा पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उसी अवधि के लिए उन्हें लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ. ग. विधि विभाग मैन्युल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 6-83/सात-1/2014.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसरण में, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त संहिता की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, बस्तर जिले एवं सुकमा जिले की सीमाओं में परिवर्तन करना प्रस्तावित करती है और नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार उसकी सीमाएं निर्धारित करती है.

इस प्रस्ताव पर राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिवस के अवसान पर विचार किया जायेगा और उसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव, लिखित में सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्रमांक एस-23, महानदी भवन, मंत्रालय, कैपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर, जिला रायपुर को उक्त अवधि के अवसान के पूर्व अग्रेषित किया जा सकेगा :-

अनुसूची

स. क्र. (1)	वर्तमान तहसील (2)	परिवर्तन का स्वरूप (3)	सीमायें (4)
1.	जिला बस्तर	जिला बस्तर के तहसील दरभा की सीमाओं से निम्नलिखित ग्रामों को अपवर्जित करते हुये तथा उसे जिला सुकमा तहसील छिंदगढ़ की सीमाओं में सम्मिलित करते हुए, जिला सुकमा के साथ-साथ जिला बस्तर के तहसील दरभा की सीमाओं का परिवर्तन, अर्थात् :- पटवारी हल्का क्रमांक- 15-टांहकवाड़ा, 17-कोहकावाड़ा 18- कोडरीपाल, एवं 19- कुकानार के कुल तेरह ग्राम	जिला बस्तर के तहसील दरभा के पटवारी हल्का क्रमांक- 15-टांहकवाड़ा, 17-कोहकावाड़ा 18- कोडरीपाल, एवं 19- कुकानार की वर्तमान सीमाएं, वर्तमान सुकमा जिले के छिंदगढ़ तहसील में सम्मिलित किये गये हैं.

New Raipur, the 29th September 2014

No. F 6-83/VII-1/2014.— In pursuance of the provision contained in the proviso to sub- section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), notice is hereby given that in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the said code, the State Government proposes to alter the limits of Bastar District and Sukma District and to define the limits thereof as specified in the Schedule below.

The proposal will be taken into consideration on the expiry of sixty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette and any objections or suggestions in respect thereof may be forwarded, in writing to the Secretary, Department of Revenue and Disaster Management, Government of Chhattisgarh, Room No. S-23, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Capitol Complex, Naya Raipur, District Raipur before the expiry of the said period :-

SCHEDULE

S. No. (1)	Present District (2)	Nature of Change (3)	Limits (4)
1.	District Bastar	Alteration of limits of Tehsil Darbha of District Bastar as well as District Sukma by excluding the following villages from the limits of Tehsil Darbha of District Bastar and including it in the limits of Tehsil Chhindgarh District Sukma, namely :- Total Thirteen villages of Patwari Halka Number,- 15-Tanhakavada, 17-Kohkavada, 18-Kodaripal, and 19-Kukanar	Present limits of Patwari Halka Number,- 15-Tanhakavada, 17-Kohkavada, 18-Kodaripal, and 19-Kukanar of Darbha Tehsil District Bastar, are included in Chhindgarh Tehsil of present District Sukma.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

जनसंपर्क विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-20/2014/चौबीस.—विभागीय आदेश क्रमांक 1176 एच /जंसंस/2001, दिनांक 24-04-2001 द्वारा राज्य के समाचार पत्र प्रतिनिधियों को अधिमान्यता दिये जाने विषयक राज्य अधिमान्यता नियम 2001 अधिसूचित किया गया था.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य समाचार पत्र प्रतिनिधि अधिमान्यता अधिनियम 2001 के कंडिका-14 (2) में संशोधन कर 4. सरगुजा के पश्चात् 5. दुर्ग प्रतिस्थापित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 6-167/2012/वाक./पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर, छत्तीसगढ़ रायपुर के लिए अपर आयुक्त के एक पद को उन्नत (Upgrade) कर संचालक का एक पद (वेतनमान रुपये 37400-67000, ग्रेड वेतन रुपये 8900/-) में सृजित करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. उपरोक्त पद के लिए होने वाला व्यय मांग संख्या -07, मुख्य शीर्ष-2040, बिक्री व्यापार आदि पर कर-001, निर्देशन एवं प्रशासन (3569), मुख्यालय स्थापना व्यय पर विकलनीय होगा.

3. उपरोक्त स्वीकृति के संबंध में वित्त विभाग के यू. ओ. क्र. एफ-2014-69-00053/बी-1/चार/09, दिनांक 20-08-2014 द्वारा सहमति व्यक्त की गई हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. राठिया, अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-9/2012/मबावि /50.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग के राजपत्रित (सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना अधिकारी) एवं अराजपत्रित कार्यपालिक श्रेणी की सेवाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए विभागीय परीक्षाओं और उनके पाठ्यक्रमों के संचालन से संबंधित निम्नलिखित विभागीय परीक्षा नियम बनाता है. यह विभागीय परीक्षा नियम, अधिसूचना जारी होने के दिनांक से लागू होंगे :-

विभागीय परीक्षाओं के लिए नियम - सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक संवर्ग की राज्य सेवाओं के सदस्यों की परीक्षा से संबंधित नियम,

इसके अधीन निर्मित इन नियमों से सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-एक, परिपत्र क्रमांक 4 तथा इस विषय से संबंधित शासन के समस्त पिछले परिपत्र अतिष्ठित हो जाएंगे, -

(1) **परीक्षा की तारीख और स्थान**- परीक्षाएं सभी संभागीय मुख्यालयों में जनवरी तथा जुलाई माह में ऐसी तारीखों को होगी, जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर नियत की जाएं,

(2) **परीक्षा के विषय** - विभागीय परीक्षाएं निम्नलिखित विषयों में ली जानी है :-

1. लेखा (एक)-बिना पुस्तक की सहायता के
2. लेखा (दो)-पुस्तकों की सहायता से
3. महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण
4. बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास

महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण तथा बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास इन विषयों में अराजपत्रित कार्यपालिक श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों को परीक्षा निम्न स्तर अर्थात 40 प्रतिशत अंकों से एवं राजपत्रित संवर्ग के अधिकारियों को यह परीक्षा उच्च स्तर से अर्थात 50 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा.

(3) **लेखा** – लेखा संबंधी परीक्षा इन नियमों में निम्नानुसार बताए गए अनुसार प्रथम प्रश्न–पत्र पुस्तकों की सहायता के बिना निम्न स्तर के लिए 40 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण होना आवश्यक है. द्वितीय प्रश्न–पत्र लेखा पुस्तकों की सहायता से राजपत्रित अधिकारी संवर्ग के लिए 50 प्रतिशत अंक में उत्तीर्ण होना आवश्यक है. इस विषय का एक प्रश्न–पत्र होता है, जिसमें व्यवहारिक स्वरूप के प्रश्न रहते हैं लेखा परीक्षा तथा लेखा सिद्धांतों के संबंध में उम्मीदवार के सामान्य ज्ञान और व्यय का विनियमन करने वाले अधिक महत्वपूर्ण नियमों के बारे में उनकी जानकारी को परखना होगा. दूसरा प्रश्न–पत्र भी होगा, जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ वित्तीय नियमों और प्रश्न–पत्र दो के लिए निम्नानुसार दी गई संहिताओं के सिद्धांतों तथा उपबंधों के संबंध में उसकी व्यवहारिक जानकारी को परखना होगा. प्रथम प्रश्न–पत्र पुरतकों की सहायता के बिना होगा, व दूसरे प्रश्न–पत्र में पुस्तकों का उपयोग करने की अनुमति होगी. अराजपत्रित कार्यपालिक संवर्ग के शासकीय सेवकों को केवल लेखा का प्रथम प्रश्न–पत्र पुस्तक की सहायता के बिना हल करना होगा. अलग–अलग प्रश्न पत्रों में अलग–अलग वर्ग के अधिकारियों को परीक्षा देना होती है और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के स्तर के संबंध में भी अलग–अलग नियम होते हैं, अनुसूची एक में इस आशय का एक चार्ट दिया गया है.

विभागीय पाठ्यक्रम

प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तक रहित) सैद्धांतिक

इस प्रश्न पत्र में मूलभूत नियम, अवकाश नियम, यात्रा भत्ता नियम, भण्डार क्रय नियम, बजटिंग, पेंशन नियम, छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता, छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता, लेखा संहिता, वित्तीय अधिकार पुस्तिका के संबंध में उम्मीदवार की सामान्य जानकारी की जांच करने की दृष्टि से सैद्धांतिक प्रश्न दिए जाएंगे.

द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा
पुस्तकों की सहायता से

यह प्रश्न पत्र पुस्तकों की सहायता से हल किया जाना है. इस प्रश्न–पत्र में प्रथम प्रश्नपत्र से संबंधित विषयों पर व्यवहारिक प्रश्न दिए जाएंगे.

तृतीय प्रथम प्रश्नपत्र
महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण

भाग-एक

1. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित महिला कल्याण, महिला विकास, महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाएं/कार्यक्रम- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, किशोरी शक्ति योजना, स्वावलम्बन योजना, सक्षम योजना, आयुष्मति योजना, सबला योजना, जागृति शिविर एवं अन्य प्रचलित योजनाएं.

2. अन्य विभागों द्वारा संचालित महिला कल्याण, महिला विकास, महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाएं/कार्यक्रम.

3. भारत शासन द्वारा संचालित महिला कल्याण, महिला विकास, महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाएं/कार्यक्रम.

भाग-दो

1. महिलाओं के संरक्षण/कल्याण/विकास/सशक्तिकरण हेतु गठित आयोग/निगम/बोर्ड/छ. ग. महिला कोष-स्वरूप गतिविधियां एवं संचालित योजनाएं.

2. महिलाओं के संरक्षण/कल्याण/विकास/सशक्तिकरण हेतु कार्यरत शासकीय/अर्द्धशासकीय/स्वैच्छिक संस्थाएं, अनुदान नियमावली.

3. महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कार.

भाग-तीन

1. महिलाओं की सामाजिक स्थिति से जुड़ी विभिन्न समस्याएं यथा घटता लिंगानुपात, टोनही प्रताड़ना इत्यादि एवं इसके निराकरण हेतु शासन द्वारा किए गए प्रावधान.

2. जेंडर बजटिंग.

3. महिला नीति.

4. महिलाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान एवं कानून.

भाग-चार

1. स्व-सहायता समूह- गठन एवं सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया, महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में स्व-सहायता समूहों की भूमिका.

2. महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर से संबंधित आम समस्याएं, बीमारियां, बचाव एवं उपचार.

चतुर्थ प्रश्नपत्र-बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास

भाग-एक

1. आईसीडीएस कार्यक्रम-उद्देश्य, सेवाएं, हितग्राही.

2. आईसीडीएस कार्यक्रम के क्रियावन्यन में कर्मचारियों/अधिकारियों की भूमिका- आंगनबाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र प्रारम्भ किए जाने के मापदंड, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की नियुक्ति संबंधी नियम/निर्देश, प्रशिक्षण आवश्यकता आंकलन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, सर्वे, हितग्राहियों का चिन्हांकन, अभिलेखों का संधारण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/पर्यवेक्षक/परियोजना अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रतिवेदन.

3. आंगनबाड़ी केन्द्र को प्रदायित की जाने वाली सामग्री/सुविधाएं.

4. आईसीडीएस कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण हेतु सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करने हेतु संचालित कार्यक्रम यथा-अन्नप्राशन, बालभोज, कुपोषित बच्चों को गोद लिया जाना, नवाजतन इत्यादि.

5. आईसीडीएस पुनर्संरचना एवं सुदृढ़ीकरण के घटक.

भाग-दो

1. 0 से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के विकास के चरण- विकास के चरणों की जानकारी, विलम्बित विकास (Delayed milestone) का चिन्हांकन एवं उससे संबंधित हस्तक्षेप.

2. शरीर के विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता-संतुलित आहार एवं पूरक पोषण आहार.

3. वृद्धि अनुश्रवण -बच्चों का वजन लेना, ग्रोथचार्ट का संधारण एवं परामर्श हेतु उसका उपयोग.

4. कुपोषण, एनीमिया, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर.

5. कुपोषण का प्रबंधन - कुपोषण की पहचान, कुपोषित बच्चों की देखभाल, अभिभावकों को परामर्श, पोषण आहार.

6. कुपोषण मुक्ति हेतु शासन द्वारा संचालित योजनाएं एवं कार्यक्रम -नवाजतन, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, दत्तक पुत्री सुपोषण योजना.

भाग-तीन

1. बाल संरक्षण एवं देखभाल- आई. सी. पी. एस. योजना, बाल संरक्षण एवं देखभाल हेतु संचालित संस्थाएं.
2. बाल अधिकार.
3. बच्चों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान एवं कानून.
4. बाल अधिकार संरक्षण आयोग.
5. बाल संरक्षण/देखभाल/विकास की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने पर दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कार.

अनुसूची क्रमांक (एक)

अधिकारी जिनके लिए परीक्षा विहित की गई है	परीक्षा का विषय	उत्तीर्ण होने की श्रेणी	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)
महिला एवं बाल विकास विभाग			
सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि)	प्रथम प्रश्न-पत्र लेखा (पुस्तकों की सहायता के बिना)	निम्नस्तर के लिए चालीस प्रतिशत अंक उच्च स्तर के लिए	सहायक संचालक संवर्ग के अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों के लिए सभी विषयों में उच्च स्तर से उत्तीर्ण होना आवश्यक है.
	द्वितीय प्रश्न-पत्र-लेखा (पुस्तकों की सहायता से)		
	तृतीय प्रश्न पत्र-महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण	तदैव	सहायक संचालक संवर्ग के अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों के के लिए सभी विषयों में उच्च स्तर से उत्तीर्ण होना आवश्यक है.
	चतुर्थ प्रश्न पत्र-बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास.	तदैव	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर केरकेट्टा, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 7-51/2014/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कूंरा निवेश क्षेत्र, जिला रायपुर का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित् की गई है :-

अनुसूची

कूंरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम मुर्रा, पंडरभट्ठा, अकोली एवं तरपोंगी ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम तरपोंगी, मनहोरा, कुकेरा एवं कपसदा ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम कपसदा, कूंरा एवं भरतनारा ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम भरतनारा एवं मुर्रा ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 अक्टूबर 2014

क्रमांक 11947/भू-अर्जन/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघीतराई, प. ह. नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.40 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
14/[illegible]	0.50
4/3	0.12 1/2
14/4	0.12 1/2
14/5	0.12 1/2
14/6	0.12 1/2
15/3 क	0.15
15/3 ख	0.15
15/3 ग	0.15
15/3 घ	0.14
33	0.20
35	0.22
15/5	0.18
34/1	0.14
34/2	0.05
15/6	0.58
15/7	0.30
18/12	1.00
18/2	0.50
18/3	0.14
18/4	0.50
योग 20	5.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- औद्योगिक प्रयोजन (रेल्वे लाईन) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 26 सितम्बर 2014

क्रमांक 7092/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुन:व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अम्बागढ़ चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-भड़सेना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.020 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	328	0.020
योग	1	0.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - मोंगरा बरॉज के डुबान में प्रभावित होने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 सितम्बर 2014

क्रमांक 7094/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनःव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अम्बागढ़ चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-दानीटोला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.063 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	47/3	1.214
	55/2	0.849
योग	1	2.063

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - मोंगरा बरॉज के डुबान में प्रभावित होने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बैकुण्ठपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2014

क्रमांक 6407/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनःव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सिरियाखोह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.16 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
180/2	0.16
174/2	0.09
180/1	0.19
174/1	0.13
172/2	0.10
169	0.09
152/2	0.12
55/1	0.09
160	0.22
100/1	0.12
190	0.20
58	0.19
191	0.19
192	0.15
141	0.13
130/1 ग	0.02
54	0.08
133/2	0.10
131	0.04
127/1	0.10

(1)	(2)
127/3	0.08
128	0.04
5	0.12
8/5	0.05
8/1	0.12
3	0.21
126/2	0.02
126/1	0.13
105	0.07
101	0.09
50/2	0.13
104	0.04
64	0.03
63/1	0.07
61	0.08
55/2	0.09
57	0.09
50/1	0.19
योग 38	4.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - सिरियाखोह व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बैकुण्ठपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2014

क्रमांक 6408/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुन:व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कोथारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.18 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
481	0.24
476/1	0.09
476/2	0.09
460	0.09
461	0.18
545	0.02
459	0.25
541	0.07
542	0.15
योग 9	1.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - सिरियाखोह व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बैकुण्ठपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2014

क्रमांक 6410/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुन:व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मुड़धोवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.78 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
18	0.06
16	0.08

(1)	(2)
41	0.19
49	0.04
52	0.02
42	0.04
54	0.08
43	0.04
32	0.04
33	0.07
65	0.09
50	0.03
योग 12	0.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - मुड़धोवा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बैकुण्ठपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2014

क्रमांक 6411/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनःव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-कोरिया
  (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
  (ग) नगर/ग्राम-खरला
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.14 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	4	0.08
	2	0.06
योग	2	0.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - मुड़धोवा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2014

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/3305.—पंखाजूर जिला उत्तर बस्तर कांकेर में नवीन मंडी स्थापना होने के कारण अपर कलेक्टर का ज्ञापन पत्र क्र. 4402 दिनांक 05-09-2014 द्वारा वर्तमान पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पंखाजूर को कृषि उपज मंडी समिति पंखाजूर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री सी. एल. परगनिहा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पंखाजूर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति पंखाजूर जिला उत्तर बस्तर कांकेर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2014

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/3307.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा. अधि./2013-14/3992 रायपुर दिनांक 11-09-2013 द्वारा श्री महेश राम ताण्डे, कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय सहायक परियोजना अधिकारी बिलाईगढ़ को कृषि उपज मंडी समिति भटगांव जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

अपर कलेक्टर बलौदाबाजार-भाटापारा का पत्र क्र. 383 दिनांक 30-08-2014 द्वारा श्री एल. आर. कन्थाले वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बिलाईगढ़ को कृषि उपज मंडी समिति भटगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री महेश राम ताण्डे, कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय सहायक परियोजना अधिकारी बिलाईगढ़ का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री एल. आर. कन्थाले वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बिलाईगढ़ को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति भटगांव जिला बलौदाबाजार-भाटापारा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2014

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/3309.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा. अधि./2010-11/7574 रायपुर दिनांक 17-02-2011 द्वारा श्री एस. पी. गुडधे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नेवरा को कृषि उपज मंडी समिति नेवरा जिला-रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर रायपुर द्वारा दिनांक 10-09-2014 को अनुमोदित प्रस्ताव के संदर्भ में उपसंचालक कृषि जिला रायपुर का पत्र क्र. 3471 दिनांक 11-09-2014 द्वारा श्री एम. एल. थावरे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तिल्दा को कृषि उपज मंडी समिति नेवरा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री एस. पी. गुडधे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय नेवरा दिनांक 02-05-2014 से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री एम. एल. थावरे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तिल्दा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति नेवरा जिला रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2014

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/3311.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा. अधि./2010-11/1345 रायपुर दिनांक 27-05-2013 द्वारा श्री जे. आर. चौरसिया अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महासमुन्द को कृषि उपज मंडी समिति महासमुन्द जिला-महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर महासमुन्द के ज्ञापन क्रमांक 4100/846/अ. अ. ऊ. शा./2014-15 दिनांक 06-09-2014 द्वारा के. के. बेहार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महासमुन्द को कृषि उपज मंडी समिति महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री जे. आर. चौरसिया अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महासमुन्द के रिक्त स्थान पर श्री के. के. बेहार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महासमुन्द को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति महासमुन्द जिला महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2014

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/3313.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा. अधि./2014-15/7574 रायपुर दिनांक 17-02-2011 द्वारा श्री एल. सी. कटरे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पिथौरा को कृषि उपज मंडी समिति पिथौरा जिला-महासमुंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर महासमुन्द के ज्ञापन क्रमांक 4100/846/अ. अ. ऊ. शा./2014-15 दिनांक 06-09-2014 द्वारा श्री के. डी. वैष्णव अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिथौरा को कृषि उपज मंडी समिति पिथौरा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री एल. सी. कटरे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पिथौरा के स्थान पर श्री के. डी. वैष्णव अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिथौरा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति पिथौरा जिला महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2014

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/3315.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा. अधि./2013-14/4235 रायपुर दिनांक 23-09-2013 द्वारा श्री दीपक सोनी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली को कृषि उपज मंडी समिति सरायपाली जिला-महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर महासमुन्द के ज्ञापन क्रमांक 4100/846/अ. अ. ऊ. शा./2014-15 दिनांक 06-09-2014 द्वारा सुश्री स्वाती श्रीवास्तव (भा. प्र. से.) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली को कृषि उपज मंडी समिति सरायपाली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री दीपक सोनी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली के स्थान पर सुश्री स्वाती श्रीवास्तव (भा. प्र. से.) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति सरायपाली जिला महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2014

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/3318.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा. अधि./2010-11/7475 रायपुर दिनांक 17-02-2011 द्वारा श्री गयाराम उपसंचालक (कृषि) रायगढ़ को कृषि उपज मंडी समिति रायगढ़ जिला-रायगढ़ का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर रायगढ़ का पत्र क्र. 459 दिनांक 25-08-2014 द्वारा श्री एम. आर. भगत उपसंचालक कृषि रायगढ़ को कृषि उपज मंडी समिति रायगढ़ का भारसाधक अधिकरी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री गयाराम उपसंचालक (कृषि) रायगढ़ के स्थानांतरण हो जाने के कारण श्री एम. आर. भगत उपसंचालक (कृषि) रायगढ़ को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषिग उपज मण्डी समिति रायगढ़ जिला रायगढ़ का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2014

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/3320.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा. अधि./2011-12/4474 रायपुर दिनांक 08-01-2011 द्वारा श्री अश्वनी बंजारा उप संचालक (कृषि) कबीरधाम को कृषि उपज मंडी समिति कवर्धा जिला-कबीरधाम का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर कबीरधाम का पत्र क्र. 605 दिनांक 02-09-2014 द्वारा नागेश्वर लाल पाण्डे उप संचालक कृषि कबीरधाम को कृषि उपज मंडी समिति कवर्धा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री अश्वनी बंजारा उप संचालक (कृषि) कबीरधाम का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री नागेश्वर लाल पाण्डे उप संचालक कृषि जिला-कबीरधाम को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति कवर्धा जिला-कबीरधाम का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

सी. आर. प्रसन्ना,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर सरगुजा (भू-अभिलेख शाखा) अम्बिकापुर (छ. ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 27 सितम्बर 2014

क्रमांक/155/स.अ.भू.अ.-3/हल्का पुनर्गठन/2014.—छत्तीसगढ़ भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 104, 105 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए मैं ऋतु सैन, कलेक्टर, जिला सरगुजा एतद्द्वारा तहसील अम्बिकापुर के पटवारी हल्कों तथा राजस्व निरीक्षक मण्डल का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करती हूँ.

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी मुख्यालय का नाम व प.ह.नं.	हल्के में सम्मिलित ग्राम का नाम	खातों की संख्या	खसरा प्रविष्टियों की संख्या	मकबूजा रकबा	गैर मकबूजा रकबा	कुल क्षेत्रफल	ग्राम पंचायत एवं नगर निगम का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर-2	खलिबा-01	खलिबा	211	1844	304.010	137.959	441.969	खलिबा
2.	--,,--	--,,--	--,,--	बलसेढ़ी	186	1000	194.844	283.495	478.339	--,,--
3.	--,,--	--,,--	--,,--	चठिरमा	215	567	144.930	71.800	216.730	चठिरमा
4.	--,,--	--,,--	सकालो-02	सकालो	435	2048	427.218	166.292	593.510	सकालो
5.	--,,--	--,,--	--,,--	किशुननगर	119	605	138.410	129.790	268.200	--,,--
6.	--,,--	--,,--	--,,--	मेण्ड्राखुर्द	244	2280	381.100	254.715	635.815	मेण्ड्राखुर्द
7.	--,,--	--,,--	--,,--	कुल्हाड़ी	98	800	138.395	160.675	299.070	--,,--
8.	--,,--	--,,--	डिगमा-3	डिगमा	192	481	109.690	25.200	134.890	डिगमा
9.	--,,--	--,,--	--,,--	नेहरूनगर	359	724	190.100	262.080	452.180	--,,--
10.	--,,--	--,,--	नरबदापारा-04	नरबदापारा	277	1798	244.219	101.413	345.632	नरबदापारा
11.	--,,--	--,,--	--,,--	चिखलाडीह	35	234	41.206	19.628	60.834	नरबदापारा
12.	--,,--	--,,--	--,,--	सरगवां	805	1414	626.600	181.090	807.690	सरगवां
13.	--,,--	--,,--	कचनपुर-05	कचनपुर	214	2165	296.605	47.101	343.706	कचनपुर
14.	--,,--	--,,--	--,,--	बकनाखुर्द	170	1989	188.871	40.730	229.601	--,,--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
15.	--,,--	--,,--	--,,--	घंघरी	214	1067	305.275	160.643	465.918	घंघरी
16.	--,,--	--,,--	--,,--	रूखपुर	125	1227	197.690	136.923	334.613	--,,--
17.	--,,--	--,,--	भफौली-06	भफौली	160	2057	313.834	65.100	378.934	भफौली
18.	--,,--	--,,--	--,,--	भिटटीखुर्द	240	1080	208.785	33.151	241.936	--,,--
19.	--,,--	--,,--	--,,--	करम्हा	180	1652	308.425	32.581	341.006	करम्हा
20.	--,,--	--,,--	--,,--	हंसुली	170	1189	172.588	25.743	198.331	--,,--
21.	--,,--	--,,--	परसा-07	परसा	765	4523	780.796	370.526	1151.322	परसा
22.	--,,--	--,,--	--,,--	भकुरा	528	3635	627.021	350.674	977.695	भकुरा
23.	--,,--	--,,--	असोला-08	असोला	479	1954	269.841	53.690	323.531	असोला
24.	--,,--	--,,--	--,,--	रजपुरी खुर्द	285	1087	172.467	205.132	377.599	रजपुरी खुर्द
25.	--,,--	--,,--	--,,--	देवगढ़	292	1198	177.150	13.843	190.993	--,,--
26.	--,,--	--,,--	रनपुरखुर्द-09	रनपुरखुर्द	416	1270	217.084	107.373	324.457	रनपुरखुर्द
27.	--,,--	--,,--	--,,--	मलगवांखुर्द	132	664	104.577	27.641	132.218	--,,--
28.	--,,--	--,,--	--,,--	रामनगर	110	431	117.317	145.356	262.673	--,,--
29.	--,,--	--,,--	--,,--	सोनपुरकला	550	1130	233.938	61.923	295.861	सोनपुरकला
30.	--,,--	--,,--	श्रीगढ़-10	श्रीगढ़	297	753	24.738	123.274	148.012	कान्तिप्रकाशपुर
31.	--,,--	--,,--	--,,--	बंधियाचुंवा	24	109	102.493	51.522	154.015	खैरबार
32.	--,,--	--,,--	कान्तिप्रकाशपुर-11	कान्तिप्रकाशपुर	482	1317	268.461	222.024	490.485	कान्तिप्रकाशपुर
33.	--,,--	--,,--	--,,--	मानिकप्रकाशपुर	276	1705	266.751	226.894	493.645	मानिकप्रकशपुर
34.	--,,--	अम्बिकापुर-3	पचपेड़ी-12	पचपेड़ी	159	520	122.363	30.563	152.926	न. नि. अ.पुर
35.	--,,--	--,,--	नवागढ़-13	नवागढ़	489	1021	61.002	28.470	89.472	न.नि.अ.पुर
36.	--,,--	--,,--	मायापुर-14	मायापुर	824	859	100.768	75.167	175.935	न.नि.अ.पुर
37.	--,,--	अम्बिकापुर-4	अम्बिकापुर-15	अम्बिकापुर	5581	7145	454.645	675.977	1130.622	न.नि.अ.पुर
38.	--,,--	--,,--	फून्दुरडिहारी-16	फून्दुरडिहारी	3804	4777	498.330	146.605	644.935	न.नि.अ.पुर
39.	--,,--	--,,--	सुभाषनगर-17	सुभाषनगर	637	663	227.970	98.880	326.850	न.नि.अ.पुर
40.	--,,--	अम्बिकापुर-5	भगवानपुर-18	भगवानपुर	465	534	54.330	12.830	67.160	न.नि.अ.पुर
41.	--,,--	--,,--	विशुनपुर-19	विशुनपुर	277	721	139.933	26.451	166.384	न.नि.अ.पुर
42.	--,,--	--,,--	नमनाकला-20	नमनाकला	3872	4061	409.474	15.995	425.469	न.नि.अ.पुर
43.	--,,--	अम्बिकापुर-6	गंगापुरखुर्द-21	गंगापुरखुर्द	993	1238	100.833	52.500	153.333	न.नि.अ.पुर
44.	--,,--	--,,--	मणीपुर-22	मणीपुर	810	1550	112.436	11.709	124.145	न.नि.अ.पुर
45.	--,,--	--,,--	लक्ष्मीपुर-23	लक्ष्मीपुर	699	1640	225.353	49.180	274.533	न.नि.अ.पुर
46.	--,,--	अम्बिकापुर-1	केशवपुर-24	केशवपुर	304	1352	205.452	24.870	230.322	केशवपुर
47.	--,,--	--,,--	--,,--	हर्राटिकरा	560	1432	195.327	32.303	227.630	हर्राटिकरा
48.	--,,--	--,,--	--,,--	साड़बार	179	641	100.997	12.583	113.580	--,,--
49.	--,,--	--,,--	जगदीशपुर-25	जगदीशपुर	220	1715	256.174	49.186	305.360	जगदीशपुर
50.	--,,--	--,,--	सुन्दरपुर-26	सुन्दरपुर	320	1298	184.868	22.241	207.109	सुन्दरपुर
51.	--,,--	--,,--	--,,--	माझापारा	324	1969	244.457	30.354	274.811	--,,--
52.	--,,--	--,,--	--,,--	थोर	160	1172	175.951	42.496	218.447	थोर
53.	--,,--	--,,--	--,,--	झुमरपारा	98	701	90.960	4.921	95.881	--,,--
54.	--,,--	--,,--	लब्जी-27	लब्जी	530	3321	531.747	80.958	612.705	लब्जी
55.	--,,--	--,,--	--,,--	बकिरमा	351	2011	355.503	198.163	553.666	बकिरमा
56.	--,,--	--,,--	--,,--	कोलडिहा	228	1136	234.951	150.876	385.827	--,,--
57.	--,,--	--,,--	--,,--	बांकीपुर	196	1066	258.425	94.827	353.252	--,,--
58.	--,,--	--,,--	फत्तेपुर-28	फत्तेपुर	305	2447	344.288	272.498	616.786	फत्तेपुर
59.	--,,--	--,,--	--,,--	धनगवां	120	1104	125.027	19.773	144.800	सपना
60.	--,,--	--,,--	--,,--	सपना	322	2042	289.255	94.194	383.449	--,,--
61.	--,,--	--,,--	सुखरी-29	सुखरी	485	2107	462.437	482.262	944.699	सुखरी
62.	--,,--	--,,--	--,,--	कालापारा	63	621	100.648	50.263	150.911	--,,--
63.	--,,--	--,,--	--,,--	सोनपुरखुर्द	124	532	137.331	149.452	286.783	--,,--
64.	--,,--	--,,--	--,,--	रनपुरकला	297	1606	475.737	224.350	700.087	रनपुरकला
65.	--,,--	--,,--	मेण्ड्राकला-30	मेण्ड्राकला	414	1854	297.886	106.633	404.519	मेण्ड्राकला

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
66.	--,,--	--,,--	--,,--	उदयपुरढ़ाप	163	1158	214.419	45.516	259.935	मेण्ड्राकला
67.	--,,--	--,,--	--,,--	मुड़ेसा	230	1558	294.317	76.261	370.578	मुड़ेसा
68.	--,,--	--,,--	--,,--	कृष्णापुर	245	1153	296.553	115.727	412.280	--,,--
69.	--,,--	--,,--	भिट्टीकला-31	भिट्टीकला	577	2740	434.326	57.139	491.465	भिट्टीकला
70.	--,,--	--,,--	--,,--	रामपुर	232	1289	158.543	35.179	193.722	रामपुर
71.	--,,--	--,,--	--,,--	जोगीबांध	171	1007	120.362	34.467	154.829	--,,--
72.	--,,--	--,,--	बरढ़ोढी-32	बरढ़ोढी	302	754	169.558	48.755	218.313	बरढ़ोढी
73.	--,,--	--,,--	--,,--	बकमेर	75	427	100.540	26.817	127.357	--,,--
74.	--,,--	--,,--	--,,--	पोंड़ीखुर्द	259	1275	216.683	71.823	288.506	पोंड़ीखुर्द
75.	--,,--	--,,--	--,,--	केराकछार	131	1167	155.041	45.447	200.488	--,,--
76.	--,,--	--,,--	सरईटिकरा-33	सरईटिकरा	170	1390	165.797	23.835	189.632	सरईटिकरा
77.	--,,--	--,,--	--,,--	नवाबांध	161	850	159.136	40.233	199.369	--,,--
78.	--,,--	--,,--	--,,--	चिताबहार	196	1310	144.224	23.982	168.206	चिताबहार
79.	--,,--	--,,--	--,,--	इन्द्रपुर	149	725	188.198	30.137	218.325	--,,--
80.	--,,--	दरिमा	शिवपुर-34	शिवपुर	234	1325	222.244	71.565	293.809	शिवपुर
81.	--,,--	--,,--	--,,--	बरटिकरा	144	1269	169.636	43.798	213.434	--,,--
82.	--,,--	--,,--	--,,--	परसोड़ीखुर्द	222	1040	165.970	31.247	197.217	परसोड़ीखुर्द
83.	--,,--	--,,--	--,,--	हरिहरपुर	164	866	134.571	44.314	178.885	--,,--
84.	--,,--	--,,--	करजी-35	करजी	500	2612	408.896	62.164	471.060	करजी
85.	--,,--	--,,--	--,,--	कतकालो	317	1794	293.281	46.766	340.047	कतकालो
86.	--,,--	--,,--	कंठी-36	कंठी	677	2697	492.644	63.712	556.356	कंठी
87.	--,,--	--,,--	--,,--	खाला	297	1805	328.099	363.042	691.141	खाला
88.	--,,--	--,,--	सोहगा-37	सोहगा	343	1724	379.404	233.805	613.209	सोहगा
89.	--,,--	--,,--	--,,--	बकालो	272	1346	286.098	149.971	436.069	बकालो
90.	--,,--	--,,--	कुबेरपुर-38	कुबेरपुर	295	869	326.801	396.849	723.650	कुबेरपुर
91.	--,,--	--,,--	--,,--	लवईडीह	157	929	215.301	120.354	335..655	पोड़िपा
92.	--,,--	--,,--	--,,--	पोड़िपा	227	1168	181.959	123.136	305-095	--,,--
93.	--,,--	--,,--	--,,--	रेवापुर	207	1001	193.425	91.363	284.788	--,,--
94.	--,,--	--,,--	सखौली-39	सखौली	322	1898	339.541	407.111	746.652	सखौली
95.	--,,--	--,,--	--,,--	आमादरहा	186	946	238.861	268.662	507.523	--,,--
96.	--,,--	--,,--	--,,--	बरकेला	190	890	241.162	282.815	523.977	--,,--
97.	--,,--	--,,--	--,,--	मोहनपुर	234	1053	323.541	584.662	908.203	मोहनपुर
98.	--,,--	--,,--	--,,--	तिहपटरा	130	813	136.494	99.386	235.880	--,,--
99.	--,,--	--,,--	पोड़ीकला-40	पोड़ीकला	366	2621	467.042	283.693	750.735	पोड़ीकला
100.	--,,--	--,,--	--,,--	महेशपुर	166	942	374.115	105.425	479.540	--,,--
101.	--,,--	--,,--	--,,--	कर्रा	629	3282	678.014	514 960	1192.974	बर्रा
102.	--,,--	--,,--	टपरकेला-41	टपरकेला	412	1703	441.266	131.354	572.620	टपरकेला
103.	--,,--	--,,--	--,,--	सोनवर्षा	187	824	305.131	106.657	411.788	--,,--
104.	--,,--	--,,--	--,,--	अड़ची	200	1471	294.950	96.593	391.543	अड़ची
105.	--,,--	--,,--	रकेली-42	रकेली	356	2225	339.452	235.147	574.599	रकेली
106.	--,,--	--,,--	--,,--	कुनियाकला	273	1669	264.245	315.764	580.009	कुनियाकला
107.	--,,--	--,,--	--,,--	कल्याणपुर	99	497	138.011	46.514	184.525	--,,--
108.	--,,--	--,,--	नावानगर-43	नावानगर	393	1878	420.822	223.837	644.659	नावानगर
109.	--,,--	--,,--	--,,--	नावापाराकला	239	999	298.470	151.237	449.707	--,,--
110.	--,,--	--,,--	कुम्हरता-44	कुम्हरता	339	2353	385.443	482.836	868.279	कुम्हरता
111.	--,,--	--,,--	--,,--	पंपापुर	213	1304	479.061	567.115	1046.176	पंपापुर
112.	--,,--	--,,--	ससकालो-45	ससकालो	175	1143	260.200	58.307	318.507	ससकालो
113.	--,,--	--,,--	--,,--	नवगई	64	662	106.765	21.394	128.159	--,,--
114.	--,,--	--,,--	--,,--	खजुरी	341	1556	349.602	88.670	438.272	खजुरी
115.	--,,--	--,,--	करैया-46	करैया	177	1521	227.820	211.425	439.245	करैया

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
116.	--,,--	--,,--	--,,--	महुवाटिकरा	176	1037	171.531	44.013	215.544	महुवाटिकरा
117.	--,,--	--,,--	--,,--	किशुनपुर	120	664	95.467	15.918	111.385	--,,--
118.	--,,--	--,,--	लिबरा-47	लिबरा	258	1408	255.693	173.480	429.173	लिबरा
119.	--,,--	--,,--	--,,--	कलगसा	265	1848	187.273	118.948	306.221	कलगसा
120.	--,,--	--,,--	दरिमा-48	दरिमा	555	2422	464.130	106.592	570.722	दरिमा
121.	--,,--	--,,--	--,,--	कोटेया	396	3306	509.586	213.507	723.093	कोटेया
122.	--,,--	--,,--	छिंदकालो-49	छिंदकालो	413	2354	421.671	119.947	541.618	छिंदकालो
123.	--,,--	--,,--	--,,--	नावापाराखुर्द	232	1224	191.836	67.225	259.061	नावापाराखुर्द
124.	--,,--	--,,--	--,,--	भालूकछार	139	1003	192.058	43.217	235.275	--,,--
125.	--,,--	--,,--	बरगवां-50	बरगवां	586	2276	681.537	367.566	1049.103	बरगवां
126.	--,,--	--,,--	--,,--	परसापाली	136	780	143.291	36.084	179.375	--,,--
127.	--,,--	--,,--	--,,--	मोतीपुर	238	1096	202.859	37.885	240.744	मोतीपुर
128.	--,,--	--,,--	--,,--	बरगई	261	1531	232.896	29.130	262.026	--,,--
129.	--,,--	--,,--	बड़ादमाली-51	बड़ादमाली	577	1816	714.772	1683.571	2398.343	बड़ादमाली
130.	--,,--	--,,--	--,,--	नानदमाली	422	2139	647.184	40.623	687.807	नानदमाली
				योग	**51077**	**195255**	**34708.11**	**18562.19**	**53270**	

ऋतु सैन,
कलेक्टर.